

नायब तहसीलदार पीलावा

*[Handwritten signature]*

निर्णय आज दिनांक 29.5.19 को खिले न्यायालय में सुनाया गया।

प्राप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करे।  
पटवारी हल्का वी आदेश दिनांक 12/1/2013 है कि अपाणी को मीक से भौतिक रूप से वेदखल कर  
तहसील राजवत वेदखल व पटवारी हल्का को मीक कायमी कर बर्खोली हेतु सिखाया जावे।  
अतः - 3848/ - 11242/2013 कथे दलील दर्शाते तहसील दिनांक 12/1/2013 है।  
से अधिकतम रकबा 0.0042 हेक्टेयर मीक के 0.0042 हेक्टेयर के 50 गुणा 1.00 हे  
वेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। तमान दर 8.0000 रुपये प्रति एकड़ की  
अतः अपाणी द्वारा उक्त अधिकतम मीक पर किये गये अधिकतम को मीक से

सिद्ध होना पावे जाने पर अपाणी को अधिकतम भौतिक सिद्ध किया जाता है।  
मीक 0.0042 हेक्टेयर मीक पर अधिकतम किया जाना वर्तमान में  
का अवलोकन किया गया। अपाणी का मीक 0.0042 हेक्टेयर के खसरा नंबर 302 किस्म में 30  
पटवारी व पटवारी पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट  
प्रस्तुत किया जिसे शामिल पटवारी किया गया।

दिनांक 12/1/2013 को उपरिखत होकर  
से नोडिस तमान होने पर शामिल पटवारी किया गया। अपाणी की तरफ से आवेदन भी  
किया जाकर अपाणी को वास्तविक रूप से नोडिस जारी किया गया। अपाणी पटवारी  
कर अधिकतम किया है। जिस पर बाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकटाप दली  
के खसरा नंबर 302 मी. किस्म में 0.0042 हेक्टेयर मीक के 0.0042 हेक्टेयर के 50 गुणा 1.00 हे  
अपाणी के विरुद्ध टीपी रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अपाणी द्वारा सफल 0.0042 हेक्टेयर मीक के 0.0042 हेक्टेयर  
पटवारी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का 3848/ - 11242/2013 में

दिनांक 29.5.19  
प्रकरण संख्या 13/2013  
आवेदनिका 1956  
अपाणी :- श्री पटवारी हल्का निवासी अन्तर्गत धारा 91 ए-राजवत  
व नाम  
राज.संकर जरीसे पटवारी हल्का 3848/ - 11242/2013

न्यायालय नायब तहसीलदार (नागौर) राजस्थान